आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
13/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण** 36/2015-16 **आश्रित एक्का बनाम् सलोमी टोप्पो** **आदेश** प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्ता, राँची द्वारा वाद संख्या–34/R15/09-10 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। उक्त आदेश दिनांक–22.02.2011 को पारित हुआ, जबकि यह पुनरीक्षण आवेदन दिनांक–03.11.2015 को दायर किया गया। इस विलम्ब के लिये आवेदक द्वारा उनके अधिवक्ता के स्तर से जानकारी नहीं दिये जाने का कारण दर्शाया गया है; स्पष्टतः यह कारण समुचित नहीं है। आवेदन दायर करने के उपरान्त आवेदक मात्र तीन तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित हुये तथा दिनांक–06.09.2016 के पश्चात् आवेदक के तरफ से कभी भी हाजिरी दर्ज नहीं की गयी। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। आवेदक का दावा है कि ग्राम–बड़गाई, खाता नम्बर–74, प्लॉट–400, रकबा–0.10 एकड़ भूमि में वे खतियानी रैयत के वारिस है। विपक्षी द्वारा दायर अपील को मानते हुये उन्हें प्रश्नगत् भूमि से उच्छेदित करने का आदेश पारित किया गया है। प्रश्नगत् मामले में छोटानागुर कास्तकारी अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। आवेदक के पूर्वज प्रश्नगत् भूमि पर 1937 से लगातार आवासित रहे हैं। इस प्रकार आवेदक का प्रश्नगत् भूमि पर पूर्ण अधिकार है। प्रश्नगत् भूमि खतियानी रैयत सुखराम उरांव के नाम से दर्ज है। जिनकी उतराधिकारी सिरोमनी टोप्पो व सलोमी टोप्पो है, उनके नाम से दाखिल खारिज होकर मालगुजारी का भुगतान भी कर रहे हैं। आवेदक खतियानी रैयत के बहन के पुत्र है। स्पष्टतः प्रश्नगत् विषय भूमि के स्वत्व एवं अधिकार से संबंध है। इस विषय पर धारा–71(A) के तहत् कार्रवाई	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

किया जाना विधिसम्मत नहीं है। इसी आलोक में अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। आदिवासी वंश परम्परा के नियमों की व्याख्या करने का कार्य राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। आवेदक विगत् पाँच वर्षों से न्यायालय से अनुपस्थित है। यह आवेदन पाँच वर्षों के विलम्ब से दायर किया गया है। वर्णित परिस्थिति इस पुनरीक्षण आवेदन पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। अतः यह आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त 13/7/22

आयुक्त 13/7/22

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.22 15:25:09 +05:30
Location: 192.168.1.40